<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226247 CG-DL-E-30032021-226247

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

No. 175]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च 2021

सं. 19/2021-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 224(अ).—केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. संख्यांक 274 (ई), दिनांक 31 मार्च 2003 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है. अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैरा में, परंतुक में, "अप्रैल 2021 के पहले दिन" के आंकड़ों, अक्षरों एवं शब्दों को "अप्रैल 2022 के पहले दिन" आंकड़ों, अक्षरों एवं शब्दों से स्थानापन्न किया जाएगा ।

[फा. सं. डीजीईपी/एसईज़ेड/09/2017(भाग-2)]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण के, सा.का.िन. सं. 274(ई), दिनांक 31 मार्च 2003 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और सा.का.िन. सं. 213(ई) दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.16/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

1930 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

No. 19/2021-Customs

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, in the proviso, for the figures, letters and words "1st day of April, 2021", the figures, letters and words "1st day of April, 2022" shall be substituted.

[F.No. DGEP/SEZ/09/2017(Pt-2)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 16/2020-Customs, dated the 24th March, 2020, published vide number G.S.R 213(E), dated the 24th March, 2020.